Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव

लखन लाल कलेशरिया*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्था से जो अपनी आय पर अधिभार या धन लिया जाता है उसे कर या टैक्स कहते हैं। राष्ट्र के अधीन आने वाली विविध संस्थाएँ भी तरह–तरह के कर लगातीं हैं। कर प्राय: धन (money) के रूप में लगाया जाता है किन्तु यह धन के तुल्य श्रम के रूप में भी लगाया जा सकता है। कर दो तरह के होते हैं –(1) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) जैसे – आयकर, उपहार कर, निगमकर, संपत्ति कर आदि (2) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) जैसे – बिक्री कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी आदि। एक तरफ इसे जनता पर बोझ के रूप में देखा जा सकता है वहीं इसे सरकार को चलाने के लिये आधारभूत आवश्यकता के रूप में भी समझा जा सकता है इन्हीं में से एक कर है वस्तु एवं सेवा कर इसे हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं यहां कर अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर सरकार द्वारा लगाया जाता है जब से जीएसटी कर प्रणाली भारत में लागू की है जब से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गतिमान और तीव्र गति से आगे बढ़ रही है जिससे उद्योग व्यापार आयात निर्यात आदि को सुदृढ़ किया जा रहा है भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की शुरुआत देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष टैक्स सुधारों में से एक थी. जीएसटी से पहले, भारतीय कर प्रणाली जटिल थी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष कर थे. जीएसटी सुव्यवस्थित कर संरचना की शुरुआत, करों के कैस्केडिंग प्रभाव को कम करना और एक एकीकृत कर प्रणाली का निर्माण करना. यह लेख भारत में जीएसटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके विकास और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की जानकारी देता है।

भारत में जीएसटी बिल का संक्षिप्त इतिहास:

1. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में जीएसटी के विचार का प्रस्ताव रखा। देश भर में एक वस्तु और सेवा कर मॉडल तैयार करने के लिए एक समिति की स्थापाना की गयी।
2. 2004 में, राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन पर केलकर टार्क फोर्स ने पूरी तरह से एकीकृत जीएसटी के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा।
3. 2007–08 के केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी लॉन्च तिथि की घोषणा 1 अप्रैल 2010 के रूप मे की। हालांकि, राजनीतिक आम सहमति की कमी ने जीएसटी प्रारंभ तिथि को कई बार स्थगित किया।
4. 19 दिसंबर 2014 को एनडीए सरकार ने संसद में जीएसटी पर संवैधानिक (122 वें संशोधन) बिल 2014 को प्रस्तुत किया। लोकसभा ने अंतत: 6 मई 2015 को यह बिल पारित किया।
5. 14 मई 2015 को, इस विधोयक को संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजा गया। समिति से सिफारिशों को शामिल करने के बाद, राज्य सभा ने 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पारित किया।
6. राज्य सरकारों की आवश्यक संख्या और भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 लागू हुआ।

जीएसटी परिषद के अनुमोदन के बाद, 29 मार्च 2017 को, लोकसभा ने निम्नलिखित केंद्रीय बिल पारित किए:

1. जीएसटी, 2017
2. आईजीएसटी बिल, 2017
3. यूटीजीएसटी और एसजीएसटी बिल, 2017
4. जीएसटी (सेस के लिए मुआवजा) बिल, 2017

सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने 30 जून 2017 तक अपने संबंधित एसजीएसटी और यूटिजीएसटी अधिनियमित किए। इसलिए जीएसटी कार्यान्वयन तिथि को 1 जुलाई 2017 के रूप में ठीक किया गया था। इसने हमारे देश में एक पथप्रदर्शक कर सुधार की शुरुआत को चिह्नित किया।

उद्देश्य:

1. भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के समग्र प्रभाव का अध्ययन करना।
2. जीएसटी लागू होने से व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में आए परिवर्तन का विश्लेषण करना।
3. जीएसटी जीएसटी से सरकार की राजस्व व्यवस्था और कर संग्राम में हुए सुधारो का मूल्यांकन करना।
4. एमएसएमई पर जीएसटी के प्रभाव को समझना।
5. भविष्य में जीएसटी प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

जीएसटीकी आवश्यकता– जीएसटी लागू करने से पहले, भारत में एक जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर लगाए गए कई कर थे. कुछ प्रमुख चुनौतियां थीं:

कई टैक्स और कम्प्लायंस बोझ

व्यवसायों को कई अप्रत्यक्ष करों का पालन करना पड़ा, जैसे:

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (विनिर्माण पर)

- वैट (वैल्यू एडेड टैक्स)(इंट्रा-स्टेट सेल्स पर)
- सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी)(इंटर-स्टेट सेल्स पर)
- सेवा कर (सेवाओं पर)
- लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय और एंटरटेनमेंट टैक्स

इससे अनुपालन की लागत और प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ीं।

टैक्स का कैस्केडिंग प्रभाव:

- इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अनुमति दिए बिना कई स्तरों पर टैक्स लगाए गए थे, जिससे टैक्स-ऑन-टैक्स प्रभाव पड़ता है।
- उदाहरण: उत्पादन चरण में आबकारी शुल्क लिया गया था, और बिक्री के चरण पर वैट लागू किया गया था, जिससे दोगुना कर लगाया गया था।एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की कमी।
- अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग टैक्स दरें और प्रक्रियाएं थीं, जो वस्तुओं और सेवाओं के मुक्तप्रवाह में बाधाएं पैदा करती थीं।
- एकरूपता की इस कमी ने पूरे राज्यों में बिज़नेस के विस्तार को निरुत्साहित किया।महंगाई और कीमतों पर असरकई टैक्स और कैस्केडिंग प्रभावों के कारण, वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ गई है, जिससे उपभोक्ताओं और बिज़नेस को एक समान रूप से प्रभावित किया जाता है।

जीएसटी परिषद- भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 279। के तहत GST परिषद का गठन करने का अधिकार है। इसकी संरचना पर नीचे चर्चा की गई है:

- जीएसटी परिषद के अध्यक्ष - केंद्रीय वित्त मंत्री
- जीएसटी परिषद के सदस्य - केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री, वित्त / कराधन के प्रभारी मंत्री या राज्य विधायिका के साथ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।

1. **कार्य का दायरा-** जीएसटी परिषद के कार्य का दायरा इस प्रकार है:

- जीएसटी के अधीन या उससे छूट प्राप्त वस्तुओं/सेवाओं पर अनुशंसा।
- विभिन्न वस्तुओं/सेवाओं पर कर की दरें निर्दिष्ट करता है।टर्नओवर की सीमा निर्धारित करता है जिसके नीचे माल को जीएसटी से छूट दी जा सकती है।
- केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार की सिफारिश करता है।पेट्रोलियम क्रूड, हाई-स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन ईंधन पर जीएसटी लगाने की तारीख को सूचित करता है।
- जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला, जैसा कि परिषद निर्णय ले सकती है।

2. **जीएसटीएन कॉमन पोर्टल -** केंद्र और राज्य स्तर पर करदाता और आईटी बुनियादी ढांचे के बीच एक इंटरफेस स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने जीएसटीएन (गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क) द्वारा प्रबंधित एक वेबसाइट www.gst.gov.in की स्थापना की।

जीएसटी के लाभ - जीएसटी माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है। पूर्व-जीएसटी काल में बहुत कमी थी तथा कर की एकरूपता की आवश्यकता थी। जीएसटी भारत द्वारा की गई एक बड़ी पहल है। यह पूरे देश के लिए एक लाभ की स्थिति है। यह पूरे देश के लिए फायदेमंद है- जीएसटी ने हितधारकों, व्यवसायी, उपभोक्ताओं और सरकार अर्थात पूरे देश के लिए एक पारदर्शी प्रणाली ला दी है जिसके द्वारा करों के क्रेडिट की अनुमति दी गई है। जीएसटी शासन के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं:

1. **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार**-जीएसटी ने भारत को एक मानक कर की दर वाला और प्रक्रियाओं सहित एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बना दिया है। इसने उन बाधाओं को तोड़ दिया जो करों की बहुलता के कारण मौजूद थीं।
2. **प्रतिस्पर्धा** -भारत में जीएसटी की शुरूआत के साथ, माल और सेवाओं की लागत में कमी आई है। इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल और सेवा में प्रतिस्पर्धा लाकर देश को लाभान्वित किया।
3. **कर की कोई व्यापकता नहीं**-कर की व्यापकता तब होती है, जब उत्पादन के समय उत्पादन के हर चरण पर टैक्स लगाया जाता है। यह अभ्यास अंतत: माल के मूल्य को बढ़ाता है ,जो मुद्रास्फीति की ओर जाता है। जीएसटी कार्यान्वयन के साथ, आपूर्तिकर्ता सरकार को दिए गए करों पर क्रेडिट ले सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप पिछले कर संरचना के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है।
4. **हितधारकों के लिए लाभ**-जीएसटी एकल कर है,जो आम जनता पर लगने वाले विभिन्न करों को कम करता है।अब आपूर्तिकर्ताओं को अनावश्यक कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

एकल कर-इससे पहले, सामान और सेवाओं पर लगाए गए विभिन्न कर थे। जीएसटी की उत्पत्ति से मिल और सेवाओं पर सिर्फ एक ही कर लगाया जाता है।

5. **स्वचालित प्रक्रिया**-इससे पहले, सब कुछ मैनुअल था जो एक लंबी प्रक्रिया थी। जीएसटी की उत्पत्ति, से हर प्रक्रिया स्वचालित है, जिससे मानव प्रक्रिया का भाग कम हो गया है।
6. **करदाताओं की कमी का अनुपालन**-कर की बहुलता के कारण, करदाताओं को विभिन्न कराधन सम्बंधित कानून का पालन करने की आवश्यकता थी। जीएसटी के आगमन के साथ, करदाताओं पर इस अनुपालन में कमी आई है।
7. **आर्थिक गतिविधि और निवेश में वृद्धि**-जीएसटी की शुरूआत के साथ माल की लागत में गिरावट आई है। जितना माल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी होते हैं, उतना ही निर्यात और निवेश बढ़ रहे हैं। कम लागत वाले उत्पादों के कारण मांग बहुत बड़ी है। मांग में वृद्धि होने पर लोग अधिक खर्च करते हैं। यह अंतत: अधिक रोजगार पैदा करके आर्थिक गतिविधि और निवेश को बढ़ाता है।
8. **अनुपालन लागत में कमी**-करदाता को जीएसटी की उत्पत्ति के कई रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सरकार को अलग-अलग करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
9. **कई करों और दोहरे कराधान का उन्मूलन**-पहले शासन के तहत, कुछ लेनदेन में सामान और सेवाओं दोनों पर दोहरे कर लगाए जाते थे। जीएसटी ने केंद्रीय और राज्य लेवी में अधिकतर करों को एकल कर में बदल दिया। इसने दोहरे कराधान से संबंधित उच्च नियुक्त मुद्दों का भी समाधान किया है।
10. **सरकारी राजस्व में वृद्धि**-जीएसटी की शुरूआत के साथ सरकारी राजस्व 24 प्रतिशत तक बढ़ गया।
11. **मजबूत आईटी सिस्टम**-स्वचालन, रिटर्न, पंजीकरण, रिफंड और कर भुगतान आदि दाखिल करने पर करदाता द्वारा लिया गया समय।

1. **सकारात्मक प्रभाव :**

(I) कर प्रणाली का एकीकरण-पहले भारत में केंद्रीय और राज्य सरकारों

के अलग-अलग अप्रत्यक्ष कर (जैसे - उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, ऑक्ट्रॉय आदि) थे।

- जीएसटी ने इन सभी करों को एक एकीकृत प्रणाली में बदल दिया, जिससे कर व्यवस्था सरल और पारदर्शी बनी।

2. एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार-जीएसटी ने देश भर में एक समान कर ढांचा बनाया।

- राज्यों की सीमाओं पर कर बाधाएं और चेकपोस्ट खत्म होने से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में सुधार हुआ।
- इससे व्यापार लागत में कमी आई और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी।

3. राजस्व पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार-जीएसटी के तहत ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, ई-वे बिल, और ई-इनवॉइसिंग जैसी व्यवस्थाओं ने टैक्स चोरी कम की।

- इससे सरकारी राजस्व संग्रह में दीर्घकालिक सुधार हुआ।
- सरल और पारदर्शी टैक्स ढांचे ने घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण बढ़ाया।

4. करदाताओं का विस्तार-पहले केवल बड़ी कंपनियां ही अप्रत्यक्ष कर देती थीं।

- जीएसटी के तहत छोटे और मध्यम व्यवसाय (MSME) भी टैक्स नेटवर्क में आए, जिससे कर आधार बढ़ा।

2. नकारात्मक प्रभाव

(1) प्रारंभिक जटिलता और तकनीकी चुनौतियाँ-शुरुआती वर्षों में जीएसटी पोर्टल की तकनीकी समस्याओं, बार-बार नियम परिवर्तन, और अनजान प्रक्रियाओं के कारण छोटे व्यापारियों को कठिनाई हुई।

(2) छोटे व्यवसायों पर भार-कई छोटे व्यवसायों को कंप्लायंस लागत, चार्टर्ड अकाउंटेंट शुल्क, और नियमित रिटर्न फाइलिंग के कारण बोझ महसूस हुआ।विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र (unorganized sector) पर इसका असर पड़ा।

(3) राजस्व असंतुलन-कुछ राज्यों को शुरुआती वर्षों में राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा क्योंकि केंद्र सरकार की क्षतिपूर्ति (compensation) सीमित अवधि तक थी।

- इससे केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव देखा गया।

(4) कुछ क्षेत्रों में महंगाई-जीएसटी लागू होने के बाद प्रारंभिक चरण में कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरें बढ़ने से कीमतें बढ़ीं (विशेषकर सेवाओं पर 15 से बढ़कर 18प्रतिशत।

3. जीएसटी का आर्थिक प्रभाव - भारत म वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था। कर संरचना को सरल बनाना, दोहरे कराधान को समाप्त करना, और देशभर में एकीकृत बाजार की स्थापना करना।

जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डाला है।

1. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर प्रभाव-जीएसटी लागू होने के प्रारंभिक चरण में कुछ क्षेत्रों में अल्पकालिक मंदी देखी गई, परंतु दीर्घकाल में इसने GDP वृद्धि दर को सहारा दिया।

- कर प्रणाली के एकीकरण से उत्पादन और वितरण लागत में कमी आई, जिससे व्यापारिक दक्षता बढ़ी।
- विशेषज्ञों के अनुसार, दीर्घकाल में जीएसटी से **GDP** में 1-2प्रतिशत तक की वृद्धि संभव हुई है।

2. राजस्व संग्रह पर प्रभाव-जीएसटी ने कर प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाया है।

- ई-वे बिल, ई-इनवॉइसिंग और ऑनलाइन फाइलिंग से कर चोरी में कमी आई।
- परिणामस्वरूप, सरकारी कर राजस्व लगातार बढ़ा है।

2024-25 में जीएसटी संग्रह औसतन रू 1.7 लाख करोड़ प्रति माह से अधिक रहा।

व्यापारिक सुगमता -'एक राष्ट्र, एक कर' व्यवस्था ने राज्यों के बीच कर बाधाएँ समाप्त कर दीं।

- लॉजिस्टिक्स लागत और समय दोनों में कमी आई।
- व्यापारिक माहौल बेहतर हुआ और नए निवेशों को प्रोत्साहन मिला।
- भारत की व्यापारिक सुगमता रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

4. उपभोक्ता कल्याण पर प्रभाव-दोहरी कराधान समाप्त होने से कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आई।

- हालांकि प्रारंभिक चरण में कुछ सेवाओं पर दर बढ़ने से महंगाई में हल्की वृद्धि देखी गई।
- दीर्घकाल में उपभोक्ताओं को समान कर दरों का लाभ मिला।

5. औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र पर प्रभाव-विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा (Service) क्षेत्र में कर अनुपालन की प्रक्रिया सरल हुई।

- इनपुट टैक्स क्रेडिट से कंपनियों की लागत में कमी आई।
- MSME क्षेत्र को भी कर प्रणाली में शामिल किया गया, जिससे उनका औपचारिकरण (Formalization) बढ़ा।

सांख्यिकी विश्लेषण:

1 लागू होने के बाद पहले तीन वर्षों में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में लगभग 11 से 13प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

2. भारत की जीडीपी में कर संग्रहण का योगदान बड़ा और व्यापार सुगमता में सुधार हुआ।

3. एमएसएमई सेक्टर में डिजिटल अनुपालन की प्रवृत्ति बड़ी।

निष्कर्ष - भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है। जीएसटी का उद्देश्य देश की जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाकर 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' की अवधारणा को साकार करना था। इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर दिया गया, जिससे कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी, कुशल और व्यवस्थित बनी ।वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की है। यह केवल एक कर सुधार नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक एकता और संरचनात्मक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी ने देश के भीतर व्यापारिक बाधाओं को कम करके एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की स्थापना की है, जिससे उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाएँ अधिक सुचारु हुई हैं।

इस प्रणाली के माध्यम से कर प्रशासन में पारदर्शिता, राजस्व संग्रह में वृद्धि, और व्यापारिक सुगमता जैसे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसके साथ ही, टैक्स चोरी में कमी और डिजिटल कर प्रणाली की ओर बढ़ता कदम, भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक आधुनिक और प्रतिस्पर्धी

बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

हालाँकि, जीएसटी के क्रियान्वयन के प्रारंभिक वर्षों में तकनीकी कठिनाइयाँ, बार-बार नियम परिवर्तन, तथा छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का दबाव जैसी समस्याएँ भी उभरकर आईं। इन चुनौतियों के बावजूद, दीर्घकाल में यह व्यवस्था भारत को एक स्थिर, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल कर ढाँचा प्रदान करने की क्षमता रखती है।

अत: यह कहा जा सकता है कि जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत, दक्ष और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसके प्रभाव आने वाले वर्षों में और अधिक सकारात्मक रूप में सामने आएँगे, जब सरकार, उद्योग और नागरिक-तीनों मिलकर इस प्रणाली को और सुदृढ़ एवं सरल बनाएँगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 5Paisa.com
2. GSTIndia-wikipedia
3. Khatabook.com
4. Supportme.com
5. RBI annual report of indirect tax
6. Indian govt. finance ministry gst portal

****